भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2537

(19 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत राजसहायता

2537. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का ब्यौरा क्या है और राजस्थान राज्य में आज की तिथि तक संवितरित तथा जारी किए जाने के लिए लंबित निधि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारी द्वारा उन व्यक्तियों के लिए कितने राजसहायता-दावे अनुमोदित किए गए हैं जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विगत डेढ़ वर्ष से दो वर्षों तक की अवधि से जारी नहीं किया गया था;

(ग) क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत राजसहायता की उस अनुमोदित राशि, जो लाभार्थियों के लिए काफी समय पहले अनुमोदित की गई थी और पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से जारी नहीं की गई थी, को तत्काल जारी करने के लिए राज्यों की नोडल एजेंसी को सूचित करने के लिए कोई कदम उठा रही है क्योंकि इस कारण लाभार्थियों पर आवास ऋण के लिए उधार ली गई राशि पर ब्याज का भुगतान करने का भार बढ़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजस्थान राज्य में उक्त योजना की निगरानी करने वाले राज्यों की नोडल एजेंसियों को लाभार्थियों को प्रदाय करने के लिए जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

उत्तर (क): ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में ''सभी के लिए आवास'' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण का लक्ष्य है। दिनांक 13.12.2023 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2.95 करोड़ मकानों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिनमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों को 2.94 करोड़ से ज्यादा मकान स्वीकृत किए गए हैं और 2.51 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा किया जा चुका हैं।

दिनांक 13.12.2023 की स्थिति के अनुसार शुरुआत से लेकर अब तक पीएमएवाई-जी के तहत राजस्थान राज्य में कुल जारी की गई निधियां 12,667.02 करोड़ रुपये है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लंबित देयता 40.47 करोड़ रुपये है। राजस्थान राज्य से निधियां जारी करने के लिए एक संपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, दिनांक 13.12.2023 की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य में जिलेवार लक्षित, स्वीकृत, निर्मित मकानों की संख्या और उपयोग की गई निधि **अनुबंध-I** में दी गई है। पीएमएवाई-जी के तहत केंद्रीय सहायता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक इकाई मानते हुए सीधे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है।

उत्तर (ख) से (ग): ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना (आरएचआईएसएस) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा एक केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में अभिज्ञात किया गया है। एनएचबी इस योजना को पात्र प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है, जिन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी योजना दिशानिर्देशों के अनुसार एनएचबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आरएचआईएसएस 19-06-2017 के बाद गृह ऋण स्वीकृत और संवितरित के लिए उत्तरदायी है। आरएचआईएसएस योजना का पूरा विवरण एनएचबी की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, और इसे निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।-

https://nhb.org.in/government-scheme/rural-housing-interest-subsidy-scheme/

दिनांक 13-12-2023 की स्थिति के अनुसार एनएचबी के आरएचआईएसएस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एनएचबी के पास विभिन्न चरणों में 3.63 करोड़ रुपये की सब्सिडी के 2790 दावे लंबित हैं। सबसे पुराना दावा जो आरएचआईएसएस पोर्टल पर 16-12-2022 को अपलोड किया गया था, पीएलआई के अनुपालन न करने के कारण लंबित है, जैसे: अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण/अनुपालन/भू-संदर्भित समय और तारीख की मुहर लगी तस्वीरों को अपलोड करना और आरएचआईएसएस मोबाइल ऐप में आवास ऐप के माध्यम से आवास सॉफ्ट पर तस्वीरें खींचना और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगाने के बाद दावा आवेदन पत्र को आरएचआईएसएस पोर्टल पर प्रस्तुत करना।

(घ): इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 12,000 लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करके इस योजना को लागू करने के लिए सीएनए के रूप में एनएचबी को ग्रामीण विकास मंत्रालय से 48.54 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जिसमें से एनएचबी ने राजस्थान राज्य में आरएचआईएसएस के तहत लगभग 210 लाभार्थी परिवारों के लिए 0.66 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि जारी की थी। दिनांक 12.12.2023 की स्थिति के अनुसार आरएचआईएसएस के तहत एनएचबी के पास 27.44 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि उपलब्ध है।

अनुबंध-I

"पीएमएवाई-जी के तहत सब्सिडी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 19.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2537 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	जिले का नाम	राज्यों द्वारा निर्धारित लक्ष्य	स्वीकृत मकान	निर्मित मकान	उपयोग की गई निधि (लाख में)
1	अजमेर	27,595	27,588	26,464	1,111.83
2	अलवर	10,242	10,242	10,090	229.08
3	बांसवाड़ा	1,87,493	1,87,493	1,86,253	4,458.57
4	बारां	49,046	49,046	46,332	2,452.29
5	बाड़मेर	1,77,981	1,77,982	1,75,172	6,165.45
6	भरतपुर	13,305	13,305	12,376	388.23
7	भीलवाड़ा	61,357	61,365	59,602	2,678.19
8	बीकानेर	65,158	65,158	64,446	1,138.35
9	बूंदी	47,945	47,947	45,958	1,704.24
10	चित्तौड़गढ़	34,021	34,018	33,081	1,138.29
11	चुरू	30,134	30,136	29,668	729.57
12	दौसा	11,452	11,446	11,228	191.49
13	धौलपुर	10,278	10,278	10,046	592.35
14	डूंगरपुर	1,23,173	123,170	1,22,194	3,139.62
15	हनुमानगढ़	32,198	32,197	31,358	1,139.91
16	जयपुर	16,304	16,302	15,246	521.91
17	जैसलमेर	43,148	43,148	42,545	2,835.72
18	जालौर	58,635	58,615	57,157	1,065.21
19	झालावाड़	76,922	76,919	75,433	2,798.31
20	झुंझुनूं	1,721	1,721	1,673	22.95
21	जोधपुर	80,425	80,404	78,333	3,431.61
22	करौली	33,032	33,032	31,379	1,818.72
23	कोटा	26,939	26,939	25,683	792.21
24	नागौर	37,543	37,546	36,871	801.15
25	पाली	37,035	37,019	35,647	994.14
26	प्रतापगढ़	68,248	68,246	65,934	2,544.57
27	राजसमंद	24,439	24,437	24,229	352.44
28	सवाई माधोपुर	35,133	35,133	33,988	1,514.82
29	सीकर	4,303	4,299	4,122	70.71
30	सिरोही	36,755	36,755	36,011	417.27
31	श्रीगंगानगर	53,025	53,025	51,971	1,393.83
32	टोंक	50,225	50,225	46,910	3,220.71
33	उदयपुर	1,53,226	1,53,224	1,50,731	2,866.65
		17,18,436	**17,18,360**	**16,78,131**	**54,720.39**

******